राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

स्रोत– 'द हिन्दू' || '01 अगस्त, 2018'

IAS PCS

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

चर्चा में क्यों?

- असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के दूसरे और अंतिम मसौदे के जारी होने के साथ ही 40 लाख लोगों की नागरिकता सवालों के घेरे में आ गई है।
- हांलाकि, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह फाइनल लिस्ट नहीं सिर्फ ड्राफ्ट है।
- नागरिकता के लिए 3 करोड़ 29 लाख लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें 2 करोड़ 89 लाख लोगों को नागरिकता के योग्य पाया गया है।
- 31 दिसंबर 2017 को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का पहला ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया था। कुल 1.9 करोड़ लोगों के नाम को ही इसमें शामिल किया गया था।

क्या है मामला?

- एन.आर.सी. को आखिरी बार 1951 में अपडेट किया गया था। उस समय असम में कुल 80 लाख नागरिकों के नाम इस रजिस्टर के तहत दर्ज किये गए थे।
- तब से असम में अवैध आप्रवासियों की पहचान की प्रक्रिया पर न केवल निरंतर बहस जारी है बल्कि यह राज्य की राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा भी बन गया है।
- 1979 से 1985 के बीच ए.ए.एस.यू. द्वारा अवैध आप्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग करते हुए एक 6 वर्षीय आन्दोलन का संचालन किया गया था।
- यह आन्दोलन 15 अगस्त, 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शांत हुआ था।
- 1951 से 1961 के बीच असम आए लोगों को पूर्ण नागरिकता और वोट देने का अधिकार मिला।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

- नागरिकों के सत्यापन का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2015 में शुरू हुआ था। इसमें 12 तरह के सर्टिफिकेटों व कागजात को नागरिकता का प्रमाण माना गया।
- इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी का कार्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है।
- असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मसौदे के प्रकाशन के आधार पर किसी के भी खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि यह अभी सिर्फ एक मसौदा ही है।
- केन्द्र को निर्देश दिया कि इस मसौदे के संदर्भ में दावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिये मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाए।
- यह मानक संचालन प्रक्रिया 16 तक उसके समक्ष मंजूरी के लिये पेश की जाए।
- यह प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उन सभी को समुचित अवसर मिलना चाहिए जिनके नाम इस सूची में शामिल नहीं है।

एक नजर में...

क्या है?

- असम में 1951 की जनगणना के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की शुरुआत हुई जिसमें नाम नहीं होने पर शख्स को अवैध नागरिक माना जाता है।
- यह व्यवस्था अपनाने वाला असम एकमात्र राज्य है।
- असम समझौता 1985 के मुताबिक, 24 मार्च 1971 की आधी रात तक राज्य में प्रवेश करने वाले लोग ही भारतीय नागरिक है।
- 1951 में एनआरसी के निर्माण के बाद 1960 में एनआरसी डाटा पुलिस को सौंप दिया गया था।

अब आगे क्या?

- सूची में जगह नहीं बना पाने वाले लोगों के पास दावा करने का पर्याप्त मौका है।
- दावे और आपत्तियां 30 अगस्त से 28 सितंबर के दौरान दायर की जा सकती हैं।
- विदेशी ट्रिब्युनल का रुख भी किया जा सकता है।

GS WORLD